

30.11.23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तदा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28.04.23 को पेश हो।

28.04.23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तदा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28.08.23 को पेश हो।

28.8.23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तदा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29.11.23 को पेश हो।

29.11.23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तदा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29.01.24 को पेश हो।

29.01.24

पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली के प्रभावी पेशी हेतु वादी एवं वादी अधिवक्ता को न्यायालय सभ्य के तीन बार आवेज दी जाने के बावजूद कोई उपस्थिति नहीं।

चूंकि उक्त पत्रावली के कोई प्रभावी पेशी नहीं हुई है तथा अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहे हैं अतः उक्त पत्रावली के कोई प्रभावी पेशी नहीं होने पर पत्रावली अदालत पेशी के खारिज की जाती है।

पत्रावली फासल सुपाए हेका सम्बन्ध दफ्तर हो।

210